भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2330

04.08.2025 को उत्तर के लिए

गढ़वाल हिमालय पर हेलिकॉप्टर परिचालन का प्रभाव

2330. श्री सेल्वाराज वी. :
श्री सुब्बारायण के. :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अनियमित हेलीकॉप्टर परिचालन गढ़वाल हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को, विशेषकर व्यस्त चार धाम यात्रा सीजन के दौरान, अप्रत्यक्ष नुकसान पहुंचा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वन्यजीव विशेषज्ञों ने यह राय दी है कि क्षेत्र में वन्यजीवों पर हेलीकॉप्टर परिचालन के प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है क्योंकि हेलीकॉप्टर संचालक राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के वर्तमान दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीवों को बचाने के लिए प्रस्तावित उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं का विनियमन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड राज्य द्वारा दी गई सूचना तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा ऊंचाई और ध्वनि के प्रभाव के संबंध में किए गए अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मानदंडों के आलोक में उनके द्वारा आवश्यक अनुपालन किया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि रात्रि के समय और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के दौरान, किसी प्रकार की हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन नहीं किया जाता है जिससे वन्यजीवों पर ध्वनि का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है।

*****